न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा
(निर्णय बईजलास एल.एन.सोनी आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 39/2018/अपील/आर्म्स एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 22.10.2018
अन्तर्गत धाराः 18 आर्म्स एक्ट,1959

उनवान

नाथूलाल गुर्जर आत्मज अणदीलाल जाति गुर्जर निवासी कालपुरिया थाना नमाना तहसील व जिला बूंदी।
...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर एव जिला मजिस्ट्रेट, बूंदी।
... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री अजय महावर अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 26.4.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा आदेश संख्या–119 दिनांक 13.6.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन आदेश) से अप्रसन्न होकर यह अपील आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलार्थी द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 1323/न्याय/2001 को नवीनीकरण हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने पर पुलिस अधीक्षक बूदी से नवीनीकरण के संबध मे रिपोर्ट प्राप्त की गई। पुलिस अधीक्षक बूंदी ने रिपोर्ट क्रमाकः डीएसबी/बूंदी/ए–(10) एआरएम.आरआईएन(आर)/17/2158 दिनांक 7.3.2017 से अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण सं0 370/06 धारा 143, 323 आईपीसी मे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15.6.2011 को धारा 321 जा.फो. के तहत अभियोजन कार्यवाही समाप्त की गई। प्रकरण सं0 68/91 धारा 147, 149, 342, 395, 353 आईपीसी मे न्यायालय द्वारा दिनांक 3.11.98 को बरी किया गया। प्रकरण सं0 31/87 धारा 332, 353 आईपीसी मे राजीनामे के आधार पर दोषमुक्त किया गया प्रकरण सं0 61/80 धारा 302, 34 आईपीसी मे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 8.8.95 से डीजे कोर्ट बूंदी के निर्णय दिनांक 25.6.81 को निरस्त किया गया प्रकरण सं0 6/77 धारा 147, 149, 379 आईपीसी मे न्यायालय द्वारा दिनांक 27.6.80 को बरी किया जाना वर्णित करते हुये आवेदक के विरूद्ध उक्त हत्या जैसे आपराधिक प्रकरण दर्ज होने से अनुज्ञापत्र नवीनीकरण की अनुशंषा नही करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक बूंदी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण किया जाना उचित प्रतीत नही होने से आदेश संख्या 119 दिनांक 13.6.2017 से शस्त्र अनुज्ञापत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर धारित 12 बोर गन नं0 8667 को थाना नमाना मे जमा कराने का आदेश पारित किया गया।

2 अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील आर्म्स एक्ट की धारा 18 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञापत्र दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकृत हो रहा था तथा पूर्व मे भी शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किया जाता रहा है। अपीलांट कई मर्तबा ग्राम पंचायत मे सरपंच रह चुका है तथा पंचायत समिति तालेडा का प्रधान भी रह चुका है। कृषि कार्य से खेतो पर आना जाना पडता है अतः आत्मरक्षार्थ हेतु शस्त्र की अत्यन्त आवश्यकता रहती है। पुलिस रिपोर्ट मे वर्णित सभी

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

मुकदमो मे अपीलांट को दोषमुक्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो पर गौर नही कर शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त करने मे त्रुटि की है। जिला कलक्टर बूंदी द्वारा पारित आदेश की जानकारी अपने अभिभाषक द्वारा दिनांक 21.6.2017 को बताने पर होने पर आदेश की नकल प्राप्त कर अपील प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश की गई। अतः डिले कन्डोन किया जाकर अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 13.6.2017 निरस्त किया जावे तथा अनुज्ञापत्र सं0 1323 को नवीनीकरण के आदेश प्रदान करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

4 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि पुलिस रिपोर्ट मे वर्णित सभी दर्ज मुकदमो का माननीय न्यायालय से निर्णय हो चुका है जिनमे अपीलार्थी को दोषी करार नही दिया गया है। अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र पूर्व मे नवीनीकरण किया जाता रहा है जो दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकरण हो रहा है। अपीलार्थी के विरूद्ध किसी भी थाने मे व किसी भी न्यायालय मे आपराधिक धाराओं मे कोई प्रकरण दर्ज नही है तथा पूर्व मे दर्ज सभी प्रकरणो का निस्तारण हो चुका है। उक्त आशय का प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही कर आर्म्स अनुज्ञापत्र को निरस्त करने मे त्रुटि की है। अतः जेरअपील आदेश अपास्त कर शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया।

5 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे प्रकट किया कि पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट दिनांक 7.3.2017 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट के विरूद्ध गम्भीर आपराधिक धाराओं मे हत्या जैसे 5 मुकदमे दर्ज हुये है जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा लाईसेन्स नवीनीकरण की अनुशंसा नही किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञापत्र जेरअपील आदेश से निरस्त किया है। गम्भीर आपराधिक धाराओं मे हत्या जैसे मुकदमे दर्ज होने से अपीलांट का आपराधिक प्रवृति का होना प्रकट होता है तथा आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति के पास शस्त्र का धारित रहना लोक शांति/लोकसुरक्षा के मध्यनजर उचित नही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायोचित है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

6 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी उसके अभिभाषक से सम्पर्क करने पर दिनांक 21.6.2017 को होना वर्णित करते हुये विलम्ब अवधि क्षम्य हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों के समर्थन मे स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो के खण्डन/प्रतिउत्तर मे कोई साक्ष्य सबूत प्रकरण मे पेश नही किये है ऐसी स्थिति मे शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई न्यायोचित आधार/अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से न्यायहित मे डिले कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

7 पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट दिनांक 7.3.2017 के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी के विरूद्ध गम्भीर आपराधिक धाराओं मे हत्या जैसे 5 मुकदमें दर्ज होने से शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 1323 को नवीनीकरण की अनुशंसा नही की गई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के आर्म्स अनुज्ञापत्र को जेरअपील आदेश सं0 119 दिनांक 13.6.2017 से निरस्त कर 12 बोर गन नं0 8667 को थाना नमाना मे जमा कराने का जेरअपील आदेश पारित किया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि उक्त सभी मुकदमो का निस्तारण न्यायालय द्वारा किया जा चुका है जिसमे अपीलार्थी को दोषी करार नही दिया गया है अन्य कोई आपराधिक प्रकरण अपीलांट के विरूद्ध दर्ज नही है ना ही किसी न्यायालय मे विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर नही किया। अपीलार्थी के तर्क के संबध मे पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट दिनांक 7.3.2017 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विरूद्ध गम्भीर आपराधिक धाराओं मे हत्या जैसे 5 मुकदमे दर्ज होने से प्रथम दृष्टया अपीलांट का आपराधिक प्रवृति का होना प्रकट होता है तथा आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति के पास शस्त्र का धारित

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

रहना लोकशांति/लोकसुरक्षा के मध्यनजर उचित नही ठहराया जा सकता। पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा भी अपीलार्थी के विरूद्ध उक्त वर्णित गम्भीर धाराओं मे हत्या जैसे गम्भीर आपराधिक 5 मुकदमे दर्ज होने से अपीलार्थी के लाईसेन्स को नवीनीकरण किये जाने की अनुशंसा नही की जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किया जाना उचित प्रतीत होने से जेरअपील आदेश संख्या–119 दिनांक 13.6.2017 से स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 1323/न्याय/2001 एक 12 बोर गन डीबीबीएल नं0 8667 को थाना नमाना मे जमा कराने का आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील आदेश लोकशांति/लोकसुरक्षा के मध्यनजर तथा पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट दिनांक 7.3.2017 के आलोक मे न्यायोचित प्रतीत है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील आदेश संख्या–119 दिनांक 13.6.2017 मे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजांइश नही है। लिहाजा उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

8 निर्णय आज दिनांक 26.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(एल. एन. सोनी)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा